

विषय:- पी0आई0यू0 द्वारा धीमी गति से कार्य किया जाना
विधानसभा ताराकित प्रश्न क्र0 1373 द्वारा श्री विजयपाल सिंह

प्रपत्र - अ

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूपए लाख में एवं दिनांक	कार्यदिश का दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण की समयावधि एवं दिनांक	प्रगति का स्तर	अद्यतन व्यय रू0 लाख में	कार्य समय पर पूर्ण न किए जाने पर की गई कार्यवाही
1	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आचलखंडा	87.00 26.02.18	25.01.19 अनुबंध क्रमांक 32/18-19	10 माह 24.11.2019	दिनांक 30.11.2021 को कार्य पूर्ण ।	7	अनुबंध अनुसार दिनांक 24.11.2019 तक कार्य पूर्ण न किए जाने पर अनुबंध की धारा 27 के अंतर्गत ठेका विखण्डन की कार्यवाही दि0 08.09.2020 को की गई थी । ठेकेदार के अभ्यावेदन पर अनुबंध पुनर्जीवित की कार्यवाही दि0 23.09.2020 को की गई । कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन के कारण 04 माह कार्य बंद रहा । वर्षाकाल में एन0जी0टी0 द्वारा रेत उत्खनन पर रोक के कारण कार्य की गति प्रभावित रही । कोरोना की दूसरी लहर के कारण माह अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 तक कार्य बंद रहा । अनुबंध प्रावधान अनुसार कार्य समय पर न किए जाने हेतु ठेकेदार के भुगतान से रू0 1,42,343/- की कटौती की गई है एवं कार्य दि0 30.11.2021 को पूर्ण किया गया है । कार्य पूर्ण होने से की गई देरी के लिए अंतिम रूप से पेनल्टी राशि की वसूली अनुबंधित प्रावधानों के तहत सक्षम आधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है ।
2	शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोहागपुर	175.00 25.09.17	11.04.18 अनुबंध क्रमांक 01/18-19	12 माह 10.04.2019	भूतल का कार्य फिनिशिंग एवं प्रथम तल का कार्य छत स्तर पर	102.3	अनुबंध अनुसार दिनांक 10.04.2019 तक कार्य पूर्ण न किए जाने पर अनुबंध की धारा 27 के अंतर्गत ठेका विखण्डन की कार्यवाही दि0 31.12.2019 को की गई थी । ठेकेदार के अभ्यावेदन पर अनुबंध पुनर्जीवित की कार्यवाही दि0 03.03.2020 को की गई । जल संसाधन विभाग की भूमि शिक्षा विभाग को स्कूल निर्माण हेतु आवंटित किए जाने में शासन का अनुमोदन न होने से समय-समय पर ठेकेदार को कार्य किए जाने से जल संसाधन विभाग द्वारा रोक लगा । तदुपरांत कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन के कारण 04 माह कार्य बंद रहा । वर्षाकाल में एन0जी0टी0 द्वारा रेत उत्खनन पर रोक के कारण कार्य की गति प्रभावित रही । कोरोना की दूसरी लहर के कारण माह अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 तक कार्य बंद रहा । अनुबंध अनुसार कार्य समय पर न किए जाने हेतु ठेकेदार के भुगतान से रू0 3,00,024/- की कटौती की गई है एवं धीमी कार्य प्रगति के लिए अनुबंध की धारा 27 के अंतर्गत शो-काज नोटिस पत्र क्र0 1163 दिनांक 18.11.2021 द्वारा जारी किया गया है । कार्य पूर्ण होने में की गई देरी के लिए अंतिम रूप से पेनल्टी राशि की वसूली अनुबंधित प्रावधानों के तहत सक्षम आधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है । कार्य 31 मार्च 2022 तक पूर्ण होना संभावित है ।

[23/12/2021]

**विधानसभा तारकित प्रश्न क्र0 1373 द्वारा श्री विजयपाल सिंह
सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र में पी0आई0थू0 द्वारा संपादित किए जाने वाले स्वीकृत कार्यों की सूची**

प्रपत्र - ब

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूपए लाख में एवं दिनांक	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण		रिमाक
				अप्रारंभ	कार्य पूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7
1	तहसील कोर्ट सोहागपुर में विटनेस वेडिंग हॉल का निर्माण	4.34 लाख 17.07.2019	31.10.20	-	कार्य पूर्ण	पूर्व स्वीकृति के स्थान पर नवीन स्वीकृति रु0 4.23 लाख ।
2	बाबई जिला होशंगाबाद में 06 ट्रेड आईटीआई, 60 सीटर बालक छात्रावास, 01 एफ, 02 एच, 04 आई टाइप क्वार्टर का निर्माण	1000.43 लाख 03.08.2021	-	अप्रारंभ	-	नवीन स्वीकृत कार्य । भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन ।
	कुल कार्य - 02			01 कार्य	01 कार्य	